न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2080–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–5–2016 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार बडवाहा जिला खरगोन, प्रकरण कमांक 2/अ–13/2015–16

.....

जगदीश पुत्र श्री भाग्या उर्फ भागीलाल
निवासी ग्राम नीलखेड़ी, तहसील बडवाहा,
जिला खरगोन म0प्र0 ..... आवेदक

विरूद्ध

1–मुकेश पुत्र ज्ञानूराम यादव
2–गंगाराम पुत्र गिरधर
3–भाग्या पुत्र पुनया
निवासीगण ग्राम नीलखेड़ी, तहसील बडवाहा,
जिला खरगोन म0प्र0 ..... अनावेदकगण

.....

श्री अजीत जैन, अभिभाषक–आवेदक

श्री टी0टी0गुप्ता व श्री ओ0पी0शर्मा, अभिभाषक–अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार बडवाहा जिला खरगोन द्वारा पारित आदेश दिनांक 31–5–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 मुकेश द्वारा तहसील बडवाहा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम नीलखेड़ी तहसील बडवाहा जिला खरगोन स्थित भूमि सर्वे कमांक 141/2 रकबा 0.086 हेक्टेयर भूमि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि है जिस पर आने जाने हेतु

रूढिगत रास्ता आवेदक द्वारा बन्द कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाने का आदेश दिया जाये । साथ ही अंतरिम रूप से प्रकरण के निराकरण तक रास्ता खुलवाये जाने हेतु संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 2/अ–13/15–16 दर्ज कर दिनांक 31–5–2016 को आदेश पारित कर अनावेदक कमांक 1 की भूमि पर जाने हेतु आठ फीट का रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया गया । साथ ही यह भी आदेशित किया गया कि यदि रास्ता खोलने में अवरोध पैदा किया जाता है तो पुलिस की सहायता से रास्ता खुलवाया जाये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि तहसीलदार द्वारा राजस्व निरीक्षक के स्थल प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है, क्योंकि उन्हें स्वयं स्थल निरीक्षण कर आदेश पारित करना था । तर्क के समर्थन में 1984 आरएन 311 एवं 2005 आरएन 37 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत करते हुये अनुरोध किया गया कि तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि तहसीलदार स्वयं स्थल निरीक्षण कर विधिवत् आदेश पारित करें ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से यह आधार लिया गया कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण कर संहिता की धारा 32 के अन्तर्गत अंतरिम आदेश पारित किया गया है जो कि वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है '। यह भी कहा गया कि तहसीलदार के आदेश के पालन में प्रश्नाधीन रास्ता खोल दिया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहॉ आवेदकगण को पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाये ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण किया जाकर अंतरिम रूप से रास्ता दिया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्क मूल प्रकरण के निराकरण से संबंधित हैं जिन्हें वे तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और तहसीलदार द्वारा उन पर प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय विचार किया जायेगा । इस प्रकार तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को भेजा जाता है कि वे दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर